

प्रकरण क्रमांक-1020/12 विद्युत

म.प्र.म.क्षे.वि. वितरण कंपनी भिण्ड बनाम
हवलदारसिंह पुत्र संतोषी लाल जाटव
निवासी-भवानी पुरा, भिण्ड, म०प्र०

29.11.17

परिवादी द्वारा श्री अतुल कुमार सक्सेना अधिवक्ता।
अभियुक्त हवलदार अनुपस्थित।

प्रकरण अभियुक्त हवलदार की उपस्थिति हेतु नियत है।

पुलिस थाना सिटी कोतवाली जिला भिण्ड से अभियुक्त हवलदार का गिरफ्तारी वारण्ट इस तस्दीक के साथ वापिस प्राप्त कि वो फरार हो गया है एवं ज्ञात पते पर पर्याप्त प्रयासों के बाद भी नहीं मिल रहा है। फरारी साक्ष्य में साक्षी आरक्षक उमेश दीक्षित उपस्थित हैं।

उनकी फरारी साक्ष्य अंतर्गत धारा 299 द०प्र०सं० लेखबद्ध की गई। उन्होंने शपथपूर्वक तामीली रिपोर्ट का समर्थन किया है।

उनकी रिपोर्ट पर विश्वास करते हुये अभियुक्त हवलदार को फरार घोषित किया जाता है। उसके विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी हो। स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट संबंधित आरक्षक उमेश दीक्षित को प्रदत्त कर पावती आदेश पत्रिका में ली जावे।

धारा 82 द०प्र०सं० के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो। धारा 83 द०प्र०सं० के अंतर्गत कार्यवाही के लिए अभियोजन अभियुक्त की सम्पत्ति का विवरण पेश करे।

प्रकरण में आरोपी फरार हैं। तदनुसार अभिलेख व मुद्देमाल सुरक्षित रखने संबंधी टीप प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से अंकित की जावे।

प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

परिणाम पंजी में अंकित कर विहित अवधि में दाखिल अभिलेखागार किया जावे।

सही / -

(डॉ० कुलदीप जैन)

विशेष न्यायाधीश (विद्युत) भिण्ड